आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर न्यायाधीश **नि.दी.प्र.सं. 61/2023 मैसर्स प्रवीण कुमार विरूद्ध हनुमान गोयल आदि (CIS No. 70/2023)**	संख्याक व दिनांक पत्र जो इस आदेश की पालना में निर्गमित हुए
02.12.2025	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा प्रतिवादी सं.2 के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. दिनांकित 1.12.25 का निस्तारण किया जा रहा है। वादी पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं.2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अभिव्यक्त तथ्यों को बहस में दोहराते हुए पक्षकथन किया है कि वादी ने वाद पत्र में यह अभिकथन किया है कि वादग्रस्त दुकान सं. 47, नई धानमंडी, श्रीगंगानगर का कब्जा विकास कैमीगम्स प्राइवेट लिमिटेड या उसके भागीदार ने वादी को सुपुर्द किया था, जबकि वास्तव में वादी को उक्त संपत्ति का कब्जा कभी भी सुपुर्द नहीं किया था। प्रतिवादी सं.02 ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कथन नहीं किया था कि उक्त संपत्ति का कब्जा वादी को नहीं दिया गया था, अतः वह इस संबंध में अपने जवाबदावा में संशोधन करवाना चाहता है व प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उसके जवाबदावा के पैरा सं.2 के अंत में प्रस्तावित संशोधन अनुज्ञात किए जाने का निवेदन किया गया। वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का खंडन किया व पक्षकथन किया कि प्रतिवादीगण आपस में भ्राता है और दोनों के द्वारा पृथक-पृथक जवाबदावा प्रस्तुत किए हुए हैं और जो जवाबदावा प्रतिवादी सं.1 ने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रतिवादी सं.1 ने जवाबदावा की मद सं.2 में यह स्पष्ट कथन किया है कि उक्त दुकान का वास्तविक या सिम्बोलिक कब्जा वादी फर्म को दिनांक 21.8.2019 को या किसी अन्य तिथि का प्रदान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं.2 के द्वारा जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, उसकी मद सं.14 में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि वादी फर्म को वादग्रस्त दुकान नं.47 नई धानमंडी श्रीगंगानगर का कब्जा न तो बी.डी. अग्रवाल व उसकी पत्नी व उसकी पुत्री ने दिया। विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष ने कथन किया है कि दोनों प्रतिवादीगण ने कब्जा के संबंध में अपने-अपने जवाबदावा में यह स्पष्ट कथन किए हैं, जिनके संबंध में संशोधन चाहा गया है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है व प्रतिवादीगण जानबूझकर साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि वाद के निस्तारण में विलंब कारित हो व निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र भारी हर्जाने पर अस्वीकार किया जावे। पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं.2 की ओर से जवाबदावा में संशोधन इस बात का चाहा गया है कि उनके द्वारा अपने जवाबदावा में इस बात से इंकारी नहीं की गई थी कि वादी को कभी भी वादगत संपत्ति का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि प्रतिवादी सं.1 जो कि प्रतिवादी सं.2 का भ्राता ही है, ने अपने जवाबदावा की मद सं.2 में यह स्पष्ट कथन किया हुआ है कि वादी फर्म को	

उक्त संपत्ति का वास्तविक एवं सिम्बोलिक कब्जा कभी प्राप्त नहीं हुआ था व प्रतिवादी सं.2 ने भी अपने जवाबदावा में मद सं.2 में इस बात से इंकारी की हुई है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं.2 के द्वारा जो प्रार्थना पेश किया गया है, वह बिना किसी कारण उक्त वाद प्रकरण में विलंब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. के प्रावधानों का घोर दुरूपयोग है। चूँकि प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो संशोधन चाहा गया है, वह पूर्व से ही जवाबदावा में लिया हुआ है, इसलिए पुनः संशोधन करवाने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे प्रार्थना पत्र जो केवल विलंब करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, यदि उचित हर्जाना पर अस्वीकार किया जाता है तो ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुति पर अंकुश लगाया जा सकता है।

निष्कर्षतः प्रतिवादी सं.2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. एतद्द्वारा 10,000 रूपए कॉस्ट अधिरोपित करते हुए **अस्वीकार** किया जाता है। प्रतिवादी सं.2 उक्त कॉस्ट की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर में जमा करवाकर उसकी रसीद प्रस्तुत करे। उक्त रसीद प्रस्तुत करने पर ही वो आगामी सुनवाई तिथि पर वादी की साक्ष्य पर जिरह कर पाऐंगे। यदि कॉस्ट अदा नहीं करते हैं तो जिरह का अवसर नहीं मिलेगा। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 16.12.2025 को पेश हो।

(संजीव मागो)